16.9.25

पत्रावली पेश हुई निर्णय पृथक से लिखाया
जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया निर्णय
प्रति पृथक से तहसीलदार अलवर को वास्ते
पालनार्थ भिजवाई जाकर बाद तामील
पत्रावली दाखिल दफ्तर हो नम्बर से
कम होवे।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

(28)

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,अलवर जिला अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री माधव भारद्वाज (आई0ए0एस)

मु.नं.	किस्म	तारीख दायर	तारीख निर्णय
5/10	अपील	07.04.2025	16.09.2025

उनवान

1:—जूहरू पुत्र छोटू जाति मेव, निवासी ग्राम 314 ककराली तहसील अलवर

बनाम

1:—इकबाल पुत्र स्वर्गीय जूहरू — अपीलान्ट

2:—गूजरी पुत्री जुहरू

3:—मेमना पुत्री जुहरू,

4:—मोहम्मदी पत्नी स्वर्गीय जुहरू, जातियान मेव, निवासीयान ग्राम 3 छूकाबास ककराली, तहसील अलवर जिला अलवर।

5:—ग्राम पंचायत ककराली, तहसील अलवर जिला अलवर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत ककराली।

अपील विरूद्ध

इंतकाल संख्या 1045 आदेश दिनॅाक 13—02—2022 स्वीकृत दिनॅाक 07—03—2022 वाके ग्राम ककराली, ग्राम पंचायत ककराली, तहसील अलवर

निर्णय

अपीलान्टस ने राज.भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत जयें वकील ने निवेदन किया कि निर्णय ग्राम पंचायत ककराली दिनांक 13.02.2022 जिसके द्वारा इन्तकाल संख्या 1045 विधि व न्याय के प्रतिपादित सिद्धान्तों के एक दम विपरित है अपील निर्णय ग्राम पंचायत ककराली दिनांक 13.02.2022 के विरूद्ध पेश की जा रही है कि जो न्यायालय श्रीमान् के श्रवण योग्य है अपीलान्ट को उक्त इन्तकाल संख्या 1045 दिनांक 13.02.2022 की जानकारी दिनांक 15.03.2025 को हुई जबकि मिन अपीलान्ट को अपनी आराजी पर ऋण लेने के लिए आवश्यकता हुई तो पटवारी हल्का ने बताया कि आराजी खसरा नम्बर 1091, 1536, 1537, 1538, 1378, 1533, 1534 एवं 1535, 1096 वाकै ग्राम ककराली का इन्तकाल विरासत रैस्पौ० संख्या—1 ला0 4 के नाम कागजात में दर्ज है जिस पर तुरन्त नकल इन्तकाल दिनांक 16.03.2025 को प्राप्त की जिससे यह अपील तारीख जानकारी दिनांक 15.03.2025 से अन्दर अवधि पेश की जा रही है जिस बाबत प्रार्थना पत्र जेर दफा 5 मियाद अधिनियम अलग से पेश किया जा रहा है ग्राम पंचायत द्वारा जो इन्तकाल संख्या 1045 दिनांक 13.02.2022 को रैस्पौ० संख्या 1 ला0 4 के नाम मृतक जुहरू पुत्र छुटटू उपरोक्त आराजी का स्वीकार किया गया है वो कतई गलत है जबकि उक्त आराजी का खातेदार मिन अपीलान्ट है जुहरू पुत्र छुट्टू मेव मृतक

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

ग्राम ककराली जिसका पहचान पत्र संख्या सीवीएस 1145846 है की जो केवल आराजी खसरा नम्बर 136, 137, 143, 149, 178/1650, 180, 331 वाकै ग्राम ककराली का खातेदार था कि जिसका उपरोक्त आराजी जिसका विवरण पैरा संख्या-4 में दर्ज किया है से कोई ताल्लुक व सरोकार किसी किस्म का नहीं था ग्राम ककराली में जूहरू पुत्र छोटू मिन अपीलान्ट है जो जिन्दा है जिसका आधार कार्ड संख्या-9230 0284 3589 है व पहचान पत्र संख्या आरजे/08/061/483238 है जुहरू पुत्र छोटू जो मृतक था का आधार कार्ड संख्या है परन्तु दोनो का नाम एक जैसा होने से तथा पिता का नाम भी एक जैसा होने से इन्तकाल अपीलान्ट की आराजी का रैस्पौ० संख्या 1 ला0 4 के नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है ग्राम पंचायत द्वारा इन्तकाल दर्ज करते समय जांच नहीं की गई जबकि इन्तकाल दर्ज करने से पूर्व ग्राम पंचायत को जांच करनी चाहिये थी कि जूहरू पुत्र छोटू दो अलग अलग व्यक्ति हैं और उनके खाते भी अलग हैं अपीलान्ट के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर-1091, 1536, 1537, 1538, 1378, 1533, 1534, 1535, 1096 का इन्तकाल रैस्पौ० संख्या 1 से 4 के नाम विरासत का खोले जाने से अपीलान्ट को भारी हानि है।

मृतक जूहरू पुत्र छुट्टू केवल आराजी खसरा नम्बर 136 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 137 रकबा 0.04 हैक्टेयर, 143 रकबा 0.17 हैक्टेयर, 149 रकबा 0.99 हैक्टेयर, 178/1650 रकबा 0.05 हैक्टेयर, 180 रकबा 0.12 हैक्टेयर, 331 रकबा 0.03 हैक्टेयर वाके ग्राम ककराली का खातेदार था केवल उक्त आराजी का ही रैस्पौ० संख्या 1 ला० 4 के नाम विरासत का इन्तकाल दर्ज करना चाहिये था ना कि अन्य आराजी का।

उक्त इन्तकाल के आधार पर मिन अपीलान्ट को गलत तौर से मृतक घोषित किया गया है जबकि मिन अपीलान्ट आज भी जीवित है जिसका आधार कार्ड संख्या-9230 0284 3589 है शेष तथ्य बवक्त बहस मौखिक अर्ज किये जावेगे अतः श्रीमान् की सेवामें अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर इन्तकाल संख्या-245 दिनांक 13.02.2022 को इस हद तक निरस्त फरमाया जावे कि आराजी खसरा संख्या 1045 आराजी खसरा नम्बर 1091 रकबा 0.24 हैक्टेयर, 1536 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 1537 रकबा 0.07 हैक्टेयर, 1538 रकबा 0.08 हैक्टेयर, 1378 रकबा 0.26 हैक्टेयर, 1533 रकबा 0.16 हैक्टेयर, 1534 रकबा 0.08 हैक्टेयर, 1535, रकबा 0.16 हैक्टेयर, 1096 रकबा 0.37 हैक्टेयर वाकै ग्राम ककराली तहसील अलवर का रैस्पौ० संख्या 1 ला0 4 के नाम गलत तौर से विरासत का दर्ज किया गया है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस जरिये नोटिस तलब किये गये रेस्पोडेन्टान संख्या 01 लगायत 04 की ओर से निम्न लिखित जबाव प्रस्तुत किया कि अपील का चरण संख्या-01 में दर्ज तथ्य सही एवं सत्य है जो कि स्वीकार है ग्राम पंचायत ककराली द्वारा दिनांक 13-02-2022 को इंतकाल संख्या 1045 विधि एवं न्याय के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत है अपील का चरण संख्या 04 में दर्ज तथ्य सही एवं सत्य है जो कि स्वीकार है कि अपीलाधीन इंतकाल संख्या 1045 दिनांक 13-02-2022 की जानकारी दिनांक 15-03-2025 को अपीलान्ट को अपनी आराजी पर ऋण लने के लिये आवश्यकता हुई तो पटवारी हल्का ने बताया कि हाल आराजी खसरा नंबर 1091, 1536, 1537, 1538, 1378, 1533, 1534, 1535, 1096 वाके ग्राम ककराली तहसील व जिला अलवर राज० का इंतकाल विरासत हम रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 04 के नाम कागजात में दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

अपील का चरण संख्या 05 में दर्ज तथ्य सही एवं सत्य है जो कि स्वीकार है कि ग्राम पंचायत द्वारा जो इंतकाल संख्या 1045 दिनांक 13-02-2022 को रेस्पोडेन्ट 01 लगायत 04 के नाम मृतकू जुहरू पुत्र छुट्टू की उपरोक्त आराजी का स्वीकार किया गया है वह कतई गलत है जबकि उक्त आराजीयात का खातेदार अपीलान्ट है अपील का चरण संख्या 06 में दर्ज तथ्य सही एवं सत्य है कि जुहरू पुत्र छुट्टू मेव मृतक ग्राम ककराली जिसका पहचान पत्र संख्या सीवीएस/1145846 है की जो केवल आराजी खसरा नंबर 136, 137, 143, 149, 178/1650, 180, 331 वाके ग्राम ककराली का खातेदार था जिस आराजी का विवरण पैरा नंबर 04 में दर्ज किया गया है कोई ताल्लुक व सरोकार किसी किस्म का नही था।

अपील का चरण संख्या 07 में दर्ज तथ्य सही है जो कि स्वीकार है कि ग्राम ककराली में जुहरू पुत्र छोटू अपीलान्ट जिन्दा है जिसका आधार कार्ड संख्या व पहचान पत्र संख्या-आरजे/08/061/483238 है जबकि जुहरू पुत्र छोटू जो मृतक था जिसका आधार कार्ड संख्या 467410007922 है परन्तु दोनों का नाम एक जैसा होने से तथा पिता का नाम भी एक जैसा होने से इन्तकाल अपीलान्ट की आराजी का हम रेस्पोडेन्टान संख्या 01 लगायत 04 के नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है। जोकि अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर ली जावे जिसमें मिन रेस्पोडेन्टान संख्या 01 लगायत 04 को कोई आपत्ति या ऐतराज नही है अपील का चरण संख्या 08 में दर्ज सभी तथ्य सही एवं सत्य है जो कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर ली जावे जिसमें मिन रेस्पोडेन्टान संख्या 01 लगायत 04 को कोई आपत्ति या ऐतराज नहीं है

अपील का चरण संख्या 09 में दर्ज तथ्य सही एवं सत्य है जो कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर ली जावे जिसमें मिन रेस्पोडेन्टान संख्या 01 लगायत 04 को कोई आपत्ति या ऐतराज नही है अपील का चरण संख्या 10 में दर्ज तथ्य सही एवं सत्य है। जोकि मिन रेस्पोडेन्टान संख्या 01 लगायत 04 का इकबाल जवाब स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जावे अपील हाजा का चरण संख्या 11 में दर्ज तथ्य सही एवं सत्य है अपीलान्ट को गलत रूप से मृतक घोषित किया गया है जबकि मिन अपीलान्ट आज भी जीवित है जिसका आधार कार्ड संख्या 9230 0284 3589 है अपील हाजा का अंतिम चरण बाबत अनुतोष है जो कि सही एवं सत्य है अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर ली जावे जिसमें मिन रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 04 को कोई आपत्ति या ऐतराज नही है

अतः इकबाल जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि मिन रेस्पोडेन्टान संख्या 01 लगायत 04 का जवाब स्वीकार किया जाकर अपील अपीलान्टान स्वीकार किये जाने की कृपा करे जिसमें मिन रेस्पोडेन्टान संख्या 01 लगातय 04 की पूर्ण सहमति है।

वकुलाय की बहस सुनी गई वकील अपीलान्ट की अपील के बावत वकील रेस्पोडेन्टान ने कथन किया कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है तो रेस्पोडटान को कोई आपत्ति नही है

हमने पत्रावली का अवलोकन किया वकुलाय को सुना गया बहस पर मनन करने के उपरान्त पत्रावली का अवलोकन करने तथा वकील की दलीलें सुनने के उपरांत पाया गया कि प्रार्थना पत्र दफा 5 पर उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए इसे स्वीकार किया गया है तथा बहस पर सम्यक् विचार किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

प्रथम दृष्टया, पारित आलोच्य आदेश अपास्त योग्य प्रतीत होता है। फलस्वरूप, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है इस प्रकार ग्राम ककराली, ग्राम पंचायत ककराली, तहसील अलवर, जिला अलवर की आज्ञा इंतकाल संख्या 1045 दिनांक 13.02.2022, स्वीकृत दिनांक 07.03.2022, को इस सीमा तक निरस्त किया जाता है कि प्रकरण को तहसीलदार अलवर को निम्न निर्देशों सहित पुनः विचारार्थ प्रेषित किया जाता है कि पक्षकारों को राजस्व अधिनियम एवं अन्य राजस्व नियमों के अनुसार पर्याप्त अवसर एवं समय प्रदान कर, आवश्यक साक्ष्यध्सबूत प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए तथा तत्पश्चात नामांतरण संबंधी कार्यवाही विधिपूर्वक पुनः संपादित की जाए।

माधव भारद्वाज (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर

निर्णय आज दिनांक 16 –09–2025 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर द्वारा टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

माधव भारद्वाज (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर